रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 28 दिसम्बर, 1996/7 पौष, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 दिसम्बर, 1996

संख्या एल० एस० जी०-ए०(3)-7/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) की धारा 31 के साथ पठित धारा 6 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 18-9-1995 द्वारा 14-11-95 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (वार्डों का परीसीमन और आरक्षण) नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (वार्डों का परीसीमन और आरक्षण) (संशोधन) नियम, 1996 है ।

3945-राजपत्र/96—28-12-96—1232. (5719) मूल्य : 1 रुपया।

2. नियम 7 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश नगर निगम (वार्डों का परीसीमन और आरक्षण) नियम, 1995 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 7 में, "इस निमित मण्डलायुक्त द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा ।" शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा ।

3. नियम 8 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 8 में :—

(क) उप-नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(10) उपायुक्त द्वारा किए गए आरक्षण को, वह ऐसे आदेश की प्रति को अपने कार्यालय के और नगर निगम के कार्यालय के सूचना पटल पर चिपका कर व्यापक रूप से प्रचारित करेगा और इस आदेश की एक प्रति सरकार को भी भेजेगा ।" तथा

(ख) इस प्रकार संशोधित उपरोक्त उप-नियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (11) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(11) नगर निगम के प्रत्येक चुनाव से पूर्व और उप-नियम (10) के अधीन आरक्षण आदेश की प्रति की प्राप्ति पर राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में वार्डों के आरक्षण और उनके चक्रानुक्रम का प्रकाशन करेगी और इस प्रकार प्रकाशित की गई अधिसूचना वार्डों के आरक्षण और उनके चक्रानुक्रम का निश्चायक प्रमाण होगी ।

4. नियम 9 का प्रतिस्थापन.—उक्त नियमों के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 9 प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9. अन्तिम प्रकाशन—(1) उपायुक्त, सभी आक्षेपों की सुनवाई और नियम 6 के अधीन उनके निपटारे, या जहां कोई आक्षेप प्राप्त न हुए हों, या मण्डलायुक्त ने नियम 7 के अधीन अपील में अपना आदेश उपायुक्त को संसूचित कर दिया हो, के पश्चात् यदि आवश्यक हो, परिसीमन प्रस्ताव प्ररूप के प्रारम्भिक प्रकाशन से 45 दिन की अवधि के भीतर, इसकी एक प्रति उपायुक्त और निदेशक, नगर निगम के कार्यालयों में और अन्य सहज दृश्य स्थानों पर, जैसा कि उपायुक्त विनिश्चय करे, चिपका कर उपांतरित कर सकेगा और वह इसकी एक प्रति राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को भेजेगा ।

(2) राज्य चुनाव आयोग, उप-नियम (1) के अधीन वार्डों का परिसीमन आदेश की प्राप्ति पर, राजपत्र में वार्डों का परिसीमन आदेश का प्रकाशन करेगा और इस उप-नियम के अधीन इस प्रकार प्रकाशित अधिसूचना वार्डों के परिसीमन का निश्चायक प्रमाण होगी ।"

5. नियम 10 का लोप.—उक्त नियमों के नियम 10 का लोप किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English Text of H.P. Municipal Corporation (Delimitation and Reservation of Wards) (Amendment) Rules, 1996 notified vide this Department Notification No. LSG-A (3) 7/94, dated 10-12-1996 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th December, 1996

No. LSG-A (3) 7/94.—In exercise of the powers conferred by section 31, read with sections 6 and 10 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the State Election Commission is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Delimitation and Reservation of Wards) Rules, 1995, published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 14-11-1995, *vide* this Department Notification of even number, dated 18-9-1995, namely :—

1. *Short Title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Delimitation and Reservation of Wards) (Amendment) Rules, 1996.

2. *Amendment of Rule* 7.—In rule 7 of Himachal Pradesh Municipal Corporation (Delimitation and Reservation of Wards) Rules, 1995 (hereinafter called the "said rules"), the words and sign "The order passed by the Divisional Commissioner in this behalf shall be final.", shall be omitted.

3. *Amendment of rule* 8.—In rule 8 of the said rules—

(*a*) for sub-rule (10), the following shall be substituted, namely :—

"(10) The reservation made by the Deputy Commissioner shall be given wide publicity by him by affixing a copy of the order of such reservation on the notice board of his office and that of the Municipal Corporation and shall also send a copy of the same to the Government."; and

(*b*) after sub-rule (10) so amended, the following sub-rule (11) shall be added, namely :—

"(11) Before every election to the Municipal Corportion and on the receipt of the copy of the reservation order made under sub-rule (10), the State Government shall, with the prior approval of the State Election Commission, publish in the Official Gazette the reservation of wards and their rotation and the notification so published shall be conclusive proof of the reservation of wards and their rotation."

4. *Substitution of rule* 9.—For rule 9 of the said rules the following rule 9 shall be substituted, namely :—

"(9) *Final publicatton.*—(1) After all the objections have been heard and disposed of under rule 6, or where no objection has been received, or the Divisional Commissioner has communicated the order made by him in appeal under rule 7 to the Deputy Commissioner, the Deputy Commissioner, if necessary, shall modify the delimitation order made by him under rule 5 within a period of 45 days from the initial publication of the draft delimitation proposal by affixing a copy of the same in the offices of Deputy Commissioner, Municipal Corporation and the Director and such other conspicuous plac s as the Deputy Commissioner may decide and he shall send a copy of the same to the State Election Commission and the State Government.

(2) The State Election Commission shall, on receipt of the Delimitation of Wards Order under sub-rule (1), publish in the Official Gazette the delimitation of wards orders and the notification so published under this sub-rule shall be conclusive proof of the delimitation of wards."

5. *Omission of rule* 10.—Rule 10 of the said rules shall be omitted.

By order,

P. S. RANA,
F. C.-cum-*Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।